परिपत्र सं. 254/11/2025-जीएसटी

प. सं. सीबीआईसी-20010/80/2025-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी नीति विंग

***

कमरा नं 16038,

कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली

दिनांकः 27 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषयः केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74क, धारा 75(2) और धारा 122 के अंतर्गत उचित अधिकारी का नियोजन और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में - सं.

बोर्ड के परिपत्र सं. 1/1/2017-जीएसटी दिनांक 26 जून, 2017 के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से बोर्ड ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके बाद "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाता है) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पंजीकरण और संयुक्त उद्ग्रहण संबंधी प्रावधानों के लिए उचित अधिकारियों का नियोजन किया था v uss। साथ ही, बोर्ड के परिपत्र सं. 3/3/2017-जीएसटी दिनांक 5 जुलाई, 2017 और परिपत्र सं. 31/05/2018-जीएसटी दिनांक 9 फरवरी, 2018 (संशोधित) के प्रति भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (इसके बाद "आईजीएसटी अधिनियम" कहा जाता है) के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उचित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में हैं।

2. सीजीएसटी अधिनियम और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (इसके बाद "सीजीएसटी नियम" के रूप में संदर्भित) के निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में कोई उचित अधिकारी नियोजित नहीं किया गया हैः

(क). सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74क जो वित्तीय वर्ष 2024-25 व् उससे आगे के लिए अदा न किये गए या कम किये गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गए या किसी भी कारण से अनुचित रूप से प्राप्त या उपयोग किये गए कर के अवधारण के लिए लागू होगी।

(ख). सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75(2) के द्वारा जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कर्म करना या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है जिसको सूचना जारी की गई थी, वहां उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि सूचना धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।

(ग). सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 जो कुछ अपराधों के संबंध में शास्ति प्रदान करती है।

(घ). सीजीएसटी नियमों 2017 का नियम 142(1क) जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क के अंतर्गत किसी भी कारण नोटिस जारी करने से पहले फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ए में एक संचार जारी करने का प्रावधान करता है।

3. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (91) (आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 सपठित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, बोर्ड, निम्नलिखित तालिका-I के कॉलम स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में, जैसा कि उक्त तालिका के कॉलम स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में दिया गया है, उचित अधिकारियों के रूप में निम्नलिखित कार्य सौंपता है:

<u>**तालिका-I**</u>

क्रम संख्या	**अधिकारी का पद**	**केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्य**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर	1. धारा 74क की उप-धारा (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9) और (10) । 2. धारा 122 । 3. सीजीएसटी नियमों 2017 का नियम 142(1क)।
	उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर	
	अधीक्षक, केंद्रीय कर	

4. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क और धारा 122 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस और आदेशों के जारी किए जाने से संबंधित कार्य के इष्टतम वितरण के लिए भीकेंद्रीय कर के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है।

5.1 तदनुसार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (91) के अनुसार और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, बोर्ड निम्नलिखित तालिका-II के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 (सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क के साथ पठित) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के कार्य को, तालिका के स्तंभ (3), (4) और (5) में उल्लिखित मौद्रिक सीमा तक उचित अधिकारियों के रूप में निम्नलिखित नियुक्त करता है:

तालिका-II

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने मौद्रिक हेतु सीमा

क्रम संख्या	**केंद्रीय कर के अधिकारी**	**केंद्रीय कर की राशि (उपकर सहित) जो अदा नहीं की गई है या कम अदा की गई है या त्रुटिवश प्रतिदाय की गई है या केंद्रीय कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुचित रूप से प्राप्त या उपयोग किया गया है, के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा**	**एकीकृत कर की राशि (उपकर सहित) जो अदा नहीं की गई है या कम अदा की गई है या त्रुटिवश प्रतिदाय की गई है या एकीकृत कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुचित रूप से प्राप्त या उपयोग किया गया है, जिसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के माध्यम से एकीकृत कर से संबंधित मामलों में लागू किया गया है, के लिए सीजीएसटी**	**केंद्रीय कर और एकीकृत कर (उपकर सहित) की राशि जो अदा नहीं की गई है या कम अदा की गई है या त्रुटिवश प्रतिदाय की गई है या केंद्रीय कर और एकीकृत कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुचित रूप से प्राप्त या उपयोग किया गया है, जिसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के माध्यम से एकीकृत कर से संबंधित मामलों में लागू**

			अधिनियम की धारा 74क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा	**किया गया है, के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	अधीक्षक, केंद्रीय कर	10 लाख रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक नहीं
2.	उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर	10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
3.	अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर	1 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के	2 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के	2 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के

5.2. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 की उप-धारा (1) या धारा 74 या धारा 74क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस में केंद्रीय कर और एकीकृत कर (उपकर सहित) दोनों शामिल हैं, वहां उचित अधिकारी का निर्धारण उपरोक्त तालिका-II के कॉलम (5) में उल्लिखित केंद्रीय कर और एकीकृत कर (उपकर सहित) की संयुक्त राशि के आधार पर किया जाएगा, चाहे केंद्रीय कर या एकीकृत कर की अलग-अलग राशि तालिका-II के कॉलम (3) या कॉलम (4) में निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो।

5.3. उचित अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74क की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत एक विवरण जारी कर सकते हैं जिसमें अतिरिक्त अवधि या धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क की उप-धारा (1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद के अवधि के लिए अदा न किए गए या कम किए गए कर का विवरण हो। ऐसे मामलों में, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(क). उचित अधिकारी का निर्धारण सभी कर अवधियों में कारण बताओ नोटिस और विवरण में निर्दिष्ट कर की सर्वोच्च राशि के आधार पर किया जाएगा।

(ख). जहां धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क की उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस अपनी मौद्रिक सीमा के भीतर एक उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, लेकिन बाद के विवरण में कर की राशि पूर्वनिर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो जाती है और जो पूर्वनिर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार उच्च-स्तरीय अधिकारी की सक्षमता के अनुरूप मौद्रिक सीमा से संबंधित है, वहां विवरण जारी करने के लिए उचित अधिकारी का निर्धारण भी उपरोक्त तालिका-II में पूर्वनिर्धारित मौद्रिक सीमा के आधार पर किया जाएगा। जिस उचित अधिकारी ने पहले कारण बताओ नोटिस और विवरण (यदि जारी किए गए हैं) को जारी किया है, वह एक संशोधन जारी करेगा और पहले के कारण बताओ नोटिस और विवरण (यदि जारी किए गए हैं) को उच्च कर राशि के साथ विवरण पर निर्णय करने के लिए सक्षम उचित अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाएगा।

(ग). यदि विवरण जारी किए जाने के समय मौद्रिक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो विवरण को उसी उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसने धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क की उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया था और इसे उसी न्यायनिर्णय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा जिसका उल्लेख पहले से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में किया गया था।

(घ). उचित अधिकारी का निर्धारण केवल माँगे गए कर की राशि के आधार पर किया जाएगा, गणना से शास्ति को छोड़कर।

(ड). ऑडिट आयुक्तालय के अधीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिसों के लिए, नोटिस के न्यायक्षेत्रीय केंद्रीय कर आयुक्तालय का उचित अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले विवरण को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किए गए पहले के कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित न्यायनिर्णय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाएगा।

6. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75(2) के अनुसार जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कर्म करना या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है जिसको सूचना जारी की गई थी, वहां उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि सूचना धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी। । इस उद्देश्य के लिए उचित अधिकारी वही अधिकारी होगा जो ऐसे कारण बताओ नोटिस के संबंध में न्यायनिर्णय प्राधिकारी है, जिसके संबंध में अपीली प्राधिकारी या अपीली न्यायाधिकरण या न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस पोषणीय नहीं है।

7.1 साथ ही, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (91) के अनुसार और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, बोर्ड निम्नलिखित तालिका-III के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 (सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के साथ पठित) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के कार्य को, तालिका के स्तंभ (3), (4) और (5) में उल्लिखित मौद्रिक सीमा तक उचित अधिकारियों के रूप में निम्नलिखित नियुक्त करता है:

तालिका-III

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने मौद्रिक हेतु सीमा

क्रम संख्या	**केंद्रीय कर का अधिकारी**	**केंद्रीय कर के संबंध में शास्ति की राशि, के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत केवल शास्ति से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा**	**एकीकृत कर के संबंध में शास्ति की राशि, जिसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के माध्यम से एकीकृत कर से संबंधित मामलों में लागू किया गया है, के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत केवल शास्ति से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा**	**केंद्रीय कर और एकीकृत कर के संबंध में शास्ति की राशि, जिसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के माध्यम से एकीकृत कर से संबंधित मामलों में लागू किया गया है, के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत केवल शास्ति से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने के लिए मौद्रिक सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	अधीक्षक, केंद्रीय कर	10 लाख रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक नहीं

2.	उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर	10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	20 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
3.	अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर	1 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के	2 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के	2 करोड़ रुपये से अधिक बिना किसी सीमा के

7.2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और इसमें केंद्रीय कर और एकीकृत कर दोनों के संबंध में शास्ति शामिल है, वहां उचित अधिकारी का निर्धारण उपरोक्त तालिका-III के कॉलम (5) में उल्लिखित केंद्रीय कर और एकीकृत कर के संबंध में शास्ति की संयुक्त राशि के आधार पर किया जाएगा, चाहे केंद्रीय कर या एकीकृत कर के संबंध में शास्ति की अलग-अलग राशि तालिका-III के कॉलम (3) या कॉलम (4) में निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो।

8. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री का प्रचार करने के लिए उपयुक्त व्यापार सूचनाएं जारी की जाए।

9. कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)
आयुक्त (जीएसटी)